

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 मई 2021 — वैशाख 20, शक 1943

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2021/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 328 (3) (ख) के प्रावधान अंतर्गत नगर पालिका परिषद जामुल हेतु अधिसूचना दिनांक 17-01-2021 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग को प्रशासक अधिसूचित किया गया था।

उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्वारा अनुविभागीय अधिकारी के स्थान पर “डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग” को नगर पालिका परिषद जामुल का प्रशासक नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 3 मई 2021

क्रमांक एफ 1-2/2021/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2021/18 दिनांक 03-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 3rd May 2021

NOTIFICATION

No. F 1-2/2021/18.— In exercise of the powers conferred under section 328 (3) (b) the State Government has notified sub division officer (R) Durg, Distt- Durg as administrator of Municipal Council Jamul till further Orders.

The State government hereby amend and notify Dy. Collector, Distt- Durg in place of sub divisional officer (R) Distt- Durg as administrator of Municipal Council Jamul till further Orders.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.

565